विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : कार्मिक

प्रश्न संख्या तारांकित : 5016

उत्तर की तिथि : 10—03—2022

विषय : वरिष्ठता लाभ ।

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार विभिन्न विभागों में अनुबन्ध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने का विचार रखती हैं; यदि हां, तो कब तक; यदि नही, तो कारण?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) द्वारा "वरिष्ठता लाभ" पर पूछे गये तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या–5016, जोकि दिनांक 10.03.2022 को उत्तर हेतु निश्चित हुआ है, का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार विभिन्न विभागों में अनुबन्ध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने का विचार रखती हैं; यदि हां, तो कब तक; यदि नही, तो कारण?	जी नहीं। सरकार विभिन्न विभागों मे अनुबन्ध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिए जाने बारे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दिये जाने का प्रावधान है। नियमित कर्मचारियों के विपरीत अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर सेवा नियम एकरूप में लागू नहीं होते हैं । संविदात्मक नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर सेवाएं प्रदत्त करना एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सशर्त आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाता है। अनुबन्ध आधार पर नियुक्त तथा नियमित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित नियमों आदि में असमानता होने के कारण अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण के उपरान्त, उनकी अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना, तर्कसंगत नहीं है।

***